

प्रेमर.

निदेशक,

ग्राम्य एवं खनिकर्म इकाई,
राष्ट्रीय निदेशात्मक उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में

श्री विजय जोशी,
पुत्र श्री मंगल राम जोशी,
निवासी ग्राम चित्तौली, पट्टी अवातस्यू,
उत्तरपट्टी चौकी गढवाल।

दिनांक 08 नवम्बर-2018

संख्या 1256 / 00080/ गणबालन/ चौकी गढवाल/ 2018-19

विषय- श्री विजय जोशी पुत्र श्री मंगल राम जोशी, निवासी ग्राम चित्तौली, पट्टी अवातस्यू जनपद चौकी गढवाल द्वारा जनपद चौकी गढवाल चरहीत चौकी, के ग्राम बढखोलू के श्रमजन्तगत कुल रकबा 4.865 हे० भूमि में आहाव पत्र (Letter of Intent) पर स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र की खनन योजना के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपके द्वारा जनपद चौकी गढवाल तहसील चौकी, के ग्राम बढखोलू के श्रमजन्तगत कुल रकबा 4.865 हे० भूमि जोकि ई-निविदा तह ई-नीलामी के माध्यम से आपके पक्ष में घोषित एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1362/VII-1/2018/41 ख/2018 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बावू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु आहाव पत्र (Letter of Intent) पर आपके पक्ष में स्वीकृत उपखनिज क्षेत्र से सम्बन्धित प्रस्तुत खनन योजना जो कि आर०अ०पू०बी० श्री युवक जोशी आर०अ०पू०बी० संख्या- 00080/आर०अ०पू०बी०/डी०डी०एच०/01/2018 के द्वारा तैयार की गयी है, को वैधानिक, तकनीकी एवं पर्यावरण सुपवा के दृष्टिकोण से खनन खंडिकाओं के सुनिश्चित संवाहन हेतु उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार निपटारली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करती हुए, प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाता है:-

शर्तें

1. प्रस्तुत खनन योजना का अनुमोदन निम्नवाली के निपम-28 "क" (18) के अनुसार आहावपत्रकारक के पक्ष में शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनदेश निर्गत किये जाने पर तत्समय शासनदेश में उचित अवधि तक के लिये केष होगा।
2. आहावपत्र कारक द्वारा तत्सम स्तर से प्रथमतः खनन क्षेत्र की पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की जायेगी तथा तदनुसार प्राव पर्यावरणीय अनुमति की समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. पट्टाकारक द्वारा औद्योगिक विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1362/VII-1/2018/41 ख/2018 दिनांक 05 जुलाई, 2018 के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु बावू, बजरी, बोल्टर उपखनिज का खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु निर्गत आहाव पत्र (Letter of Intent) की समस्त शर्तों का अनुपालन करेगा।
4. पट्टाकारक के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत होने के उपरान्त पट्टाकारक द्वारा पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी शासनदेश एवं पट्टाकारक की समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
5. पट्टाकारक द्वारा उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार निम्नवाली 2001 एवं उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1582/VII-1/2017/31ख/17 दिनांक 31 अक्टूबर 2017 में किये गये प्राधिकारिता का अनुपालन किया जायेगा।
6. प्रस्तावित खनन क्षेत्र में खनन कार्य नैजल माइनिंग विधि से बिना स्टाफ्टिंग के अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किया जायेगा। खनन योजना के अनुसार प्रथम वर्ष में आर०अ०पू०बी० 542.4 मी० से आर०अ०पू०बी० 552.00 मी०